रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-एम.एच.-अ.-30052025-263478
CG-MH-E-30052025-263478

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 405] नई दिल्ली, शुक्रवार, मई 30, 2025/ज्येष्ठ 9, 1947
No. 405] NEW DELHI, FRIDAY, MAY 30, 2025/JYAISTHA 9, 1947

भारतीय रिज़र्व बैंक

अधिसूचना

मुंबई, 29 मई, 2025

सरकारी प्रतिभूतियां - प्रतिभूतियों के पंजीकृत ब्याज और मूलधन की अलग-अलग ट्रेडिंग (स्ट्रिप्स) (संशोधन)

फा. सं. आं.ऋ.प्र.वि. सं. S321/10.18.060/2025-26.—सरकारी प्रतिभूति अधिनियम, 2006 की धारा 2 के खंड (i) के साथ पठित उसी अधिनियम की धारा 11 की उपधारा (2) के स्पष्टीकरण द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय रिज़र्व बैंक, एतद्द्वारा, 16 अक्टूबर 2009 की अधिसूचना आंऋप्रवि सं.1762/2009-10 में निम्नलिखित संशोधन करता है, अर्थात: -

क. धारा II के, खंड (1) में "पीडीओ-एनडीएस (नेगोशिएटेड डीलिंग सिस्टम)" शब्दों के स्थान पर "भारतीय रिज़र्व बैंक कोर बैंकिंग समाधान (ई-कुबेर प्रणाली)" शब्दों का प्रतिस्थापन किया जाए।

ख. धारा II में, खंड (2) के स्थान पर निम्नलिखित का प्रतिस्थापन किया जाए: -

"2. (क) भारत सरकार द्वारा जारी की गई सभी नियत कूपन प्रतिभूतियाँ स्ट्रिपिंग पुनर्गठन के लिए पात्र हैं /, उनका परिपक्वता वर्ष कोई भी हो; और

(ख) राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र द्वारा जारी सभी नियत कूपन प्रतिभूतियां, जिनकी अवशिष्ट परिपक्वता 14 वर्ष तक है और स्ट्रिपिंग के दिन न्यूनतम बकाया ₹1,000 करोड़ है, स्ट्रिपिंग के लिए पात्र होंगी:

बशर्ते कि उप-खंड (क) और (ख) में विनिर्दिष्ट सरकारी प्रतिभूतियों को सांविधिक चलनिधि अनुपात (एसएलआर) के उद्देश्य के लिए पात्र निवेश के रूप में माना जाता है और हस्तांतरणीय है।"

अजय कुमार, कार्यपालक निदेशक

[विज्ञापन-III/4/असा./138/2025-26]

नोट: अधिसूचना आंऋप्रवि.सं.1762/2009-10 दिनांक 16 अक्टूबर 2009 को आधिकारिक राजपत्र भाग III- खंड 4, दिनांक 14 नवंबर - 20 नवंबर, 2009 में प्रकाशित किया गया था और बाद में अधिसूचना संख्या आंऋप्रवि.जीबीडी 2614/08.08.16/2018-19 दिनांक 10 अप्रैल 2018 द्वारा संशोधित किया गया था, जो आधिकारिक राजपत्र भाग III- खंड 4, दिनांक 25 अप्रैल, 2018 में प्रकाशित हुआ था।

RESERVE BANK OF INDIA

NOTIFICATION

Mumbai, the 29th May, 2025

Government Securities – Separate Trading of Registered Interest and Principal of Securities (STRIPS) (Amendment)

F. No. IDMD. No. S321/10.18.060 /2025-26.—In exercise of the powers conferred vide explanation to sub-section (2) of section 11 read with clause (i) of section 2 of the Government Securities Act, 2006, the Reserve Bank of India, hereby, makes the following amendment in notification IDMD No. 1762/ 2009-10 dated October 16, 2009, namely: -

A. In section II, for clause (1), for the words "PDO-NDS (Negotiated Dealing System)", the words "Reserve Bank of India Core Banking Solution (e-Kuber System)" shall be substituted.

B. In section II, for clause (2), the following shall be substituted: -

"2. (a) All fixed coupon securities issued by the Government of India, irrespective of the year of maturity, shall be eligible for Stripping/Reconstitution; and

(b) All fixed coupon securities issued by a State Government/Union Territory, having a residual maturity of up to 14 years and minimum outstanding of ₹1,000 crore as on the day of stripping, shall be eligible for Stripping:

Provided that the Government securities referred to in sub-clauses (a) and (b) are reckoned as eligible investment for the purpose of Statutory Liquidity Ratio (SLR) and are transferable."

AJAY KUMAR, Executive Director

[ADVT.-III/4/Exty./138/2025-26]

Note : Notification IDMD. No. 1762/2009-10 dated 16th October 2009 was published in Official Gazette PART III- SECTION 4, dated NOVEMBER 14- NOVEMBER 20, 2009 and was subsequently amended by Notification No. IDMD.GBD 2614/08.08.16/2018-19 dated 10th April 2018 published in Official Gazette PART III- SECTION 4, dated April 25, 2018.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. SARVESH KUMAR SRIVASTAVA